

25/06/25

05/06/25

पत्रावली पेश हुई। अर्थात् वारी अनुपाक्षित।
वारी भी अनुपाक्षित। तीन बार रुक-रुक
कर आवाज लगाई गई लेकिन कोई भी
उपस्थित नहीं हुआ। अतः पुकरण को अन्तर्गत
आदेश 9 नियम 8 CPC अदम हाजिरी अदम
पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
केसल शुमार लेकर नम्बर से कम होकर
बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर है।




25/6/25

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला जालवाड (तम०)